न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश कुमार जोशी RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 157/2011

इण्डसण्ड बैंक लि. शाखा कार्यालय 9/86 रंग विहार कचहरी रोड अजमेर जरिये मैनेजर सादिक मंसूरी ––वादी

ब ना म

1. इन्तेखाब आलम काजी पुत्र मोइनुदीन निवासी चन्द्रवरदाई नगर मदीना प्रोपर्टीज के पास अजमेर
2. राजेन्द्र कुमार परिहार 103 श्रीमल नगर भीनमाल जिला जालौर (राज.)

––प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं

उपस्थित :–

1. श्री अवतारसिंह उप्पल अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः 20–12–2018

वादी की ओर से यह वादपत्र दिनांक 29–10–2009 माननीय न्यायालय– जिला न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कालांतर में दिनांक 2–9–2011 को वास्ते निस्तारण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादी की ओर से वादपत्र के माध्यम से मुख्य रूप से अभिकथन किया गया कि वादी बैंक एक बैंकित वित्तीय कम्पनी है। प्रतिवादी सं. 1 वादी कैशियर के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए वादी बैंक को आर्थिक क्षति कारित करने के उद्धेश्य से बैंक में उसके ग्राहकों द्वारा

जमा करायी जाने वाली राशियों का गबन किया तथा ग्राहकों को बैंक की सील व हस्ताक्षर कर रसीद जारी की लेकिन राशि का इन्द्राज उनके बैंक अकाउंट में नहीं किया। प्रतिवादी सं.2 ने जानबूझ कर अपने काम में लापरवाही करते हुए प्रतिवादी सं.1 को धोखाधडी में सहायता की तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने बैंक के नियमों व प्रक्रिया का उल्लेधन किया। प्रतिवादी सं. 1 ने 20,00,000/– दिनांक 11–7–08 को स्टैट बैंक आफ इंडिया में वादी बैंक के खाते में जमा नहीं करवाकर स्वयं के पास रख ली, इसी प्रकार अग्रवाल मोटर्स की राशि 8500/– अपने पास रख लिये, संत कंवरराम धर्मशाला पडाव अजमेर के 1,00,000/–, जेंटिल कम्प्यूटर सर्विस के 1,22,000/– इस प्रकार कुल 22,30,500/– वादी बैंक के खाते में जमा नहीं करवाई। ग्राहकों की शिकायत पर जांच की जा रही है। प्रतिवादीगण को मौखिक रूप से उक्त राशि अदा करने हेतु कहा गया परंतु उनके द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। इसपर दिनांक 14–7–2009 को प्रतिवादीगण को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके बावजूद उक्त राशि अदा नहीं की। अंत में वादकारण, न्यायशुल्क एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख करते हुए वादी का वाद डिक्री कर उक्त राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिलाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 5–12–16 को प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एवं 12–12–2017 को प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि आया वादी प्रतिवादीगण से 22,30,500/– मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में पीडब्लू–1 देवेन्द्र गुरूबक्शानी के बयान करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ओथराइज लेटर,

प्रदर्श 2 ऑडिट रिपोर्ट, प्रदर्श–3 वादी बैंक के अकाउंट की प्रति, प्रदर्श–4 पुलिस रिपोर्ट, प्रदर्श–5 एफआईआर, प्रदर्श–6 चार्जशीट(चालान), प्रदर्श–7 बयान 161 दप्रसं., प्रदर्श–8 अग्रवाल मोटर्स द्वारा दी गई शिकायत, प्रदर्श–9 अग्रवाल मोटर्स की क्रेडिट स्लिप, प्रदर्श–10 अग्रवाल मोटर्स का स्टैटमेंट आफ अकाउंट, प्रदर्श–11 संत कंवरराम धर्मशाला की ओर से दी गई शिकायत, प्रदर्श–12 पेआर्डर की प्रति, प्रदर्श–13 जेन्टिल कम्प्यूटर की ओर से दी गई शिकायत, प्रदर्श–14 से 16 जमा रसीदें, प्रदर्श–17 जेन्टिल कम्प्यूटर के खाते की प्रति, प्रदर्श 18 व 19 जेन्टिल कम्प्यूटर का स्टैटमेंट आफ अकाउंट, प्रदर्श–20 नोटिस की प्रति, प्रदर्श– 21 व 22 पोस्टल रसीदें, प्रदर्श 23 यूपीसी रसीद, प्रदर्श–24 एकनोलेजमेंट, प्रदर्श–25 लौटकर आया लिफाफा पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र एवं शपथपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रतिवादी की ओर से किसी प्रकार से खण्डन नही हुआ है जिससे वादी का वाद सव्यय डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकियात विरचित नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में वादी को अपना वाद स्वयं अपनी साक्ष्य से साबित करना है।

वादी की ओर से प्रकरण में गवाह देवेन्द्र गुरूबक्शानी ब्रांच मैनेजर का साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा दस्तावेजात भी प्रदर्शित करवाए गए है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन अंकित किये हैं। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श–20 नोटिस है जो प्रतिवादीगण को वादी संस्था की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित कर उक्त राशि

22,30,500/– अदा करने बाबत प्रेक्षित किया गया है। इसके अलावा प्रदर्श 8, प्रदर्श 11 व प्रदर्श 13 शिकायतें जो ग्राहक अग्रवाल मोटर्स श्री थावरदास ट्रेडर्स तथा जेंटिल कम्प्यूटर की ओर से बैंक को दी गई है, जिसके अनुसार उनके पास रसीद होते हुए उनके खाते में राशि जमा नहीं हुई, उसके बाबत है। बैंक के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसपर पुलिस द्वारा जांच कर चालान पेश किया गया उसकी प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त दस्तावेजात का कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे इन दस्तावेजात पर किसी प्रकार का कोई संदेह शेष नहीं रह जाता है और उक्त दस्तावेजात के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राशि अपने पास रख लेना प्रकट होता है जो राशि प्रतिवादीगण में शेष होने के संबंध में उन्हें उक्त राशि अदा करने हेतु नोटिस वादी की ओर से प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में भी नोटिस व डाक आदि की प्रति वादी की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई गई है। जिनका भी कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित करने में वादी सफल रहा है कि प्रतिवादी सं.1 वादी बैंक में कैशियर के पद पर एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी बैंक में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे जिनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी बैंक के उक्त ग्राहकों से वादी बैंक को प्राप्त राशि का इन्द्राज उनके अकाउंट में नहीं किया और उनको बैंक की सील व हस्ताक्षर कर रसीदें जारी कर दी तथा प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उक्त कार्य में प्रतिवादी सं. 1 को प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सहायता प्रदान कर कुल राशि 22,30,500/– अपने पास रख लिये, जिससे वादी प्रतिवादीगण से उक्त राशि 22,30,500/– प्राप्त करने का अधिकारी होना पाया जाता है।

जहां तक ब्याज का प्रश्न है, वादी ने उक्त राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गणना कर मय ब्याज राशि दिलाए जाने का

निवेदन किया है। हालांकि उक्त ब्याज के संबंध में कोई इकरार दोनों पक्षों के मध्य होना प्रकट नहीं हो रहा है, परन्तु फिर भी वादी की राशि प्रतिवादीगण में बकाया है इसलिए प्रचलित ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से, उक्त राशि पर ब्याज भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

: : <u>आ दे श</u> : :

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी प्रतिवादीगण से मूल बकाया राशि 22,30,500/– रूपये एवं उसपर वाद प्रस्तुती की दिनांक 29–10–2009 से सम्पूर्ण वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद से संबंधित व्यय भी वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करेगा।

तदानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(रमेश कुमार जोशी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर

निर्णय आज दिनांक 20–12–2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश कुमार जोशी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर